राशि हर वर्ष आबंटित की गयी ; और

(ग) क्या देश के बाहर खिलाड़ियों को भेजे जाने हेतु कोई न्यूनतम योग्यतायें निर्धारित की गयी हैं और यदि हां, तो क्या सियोल खेलों में हमारी उपलब्धियां इन निर्धारित योग्यताओं के अनुरूप रही और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) भारत सरकार अखिल भारतीय ग्रामीण खेल प्रतियोगिताओं और महिलाओं के लिए राष्ट्रीय खेल चैम्पियनशिप की योजनाओं के अन्तर्गत जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं के आयोजन में राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों की सहायता करती है । सरकार ने राशि पुरस्कार के जरिए स्कूलों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजनाएं भी शुरू की हैं। योजना में खेलों के विशेष विषय में जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं में विजयी स्कूलों को नकद पुरस्कार देने की परिकल्पना है।

(ख) राज्य खेल परिषदों आदि के जरिए खेलों के विकास की योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों को स्वीकृत अनुदान की राशि निम्नलिखित है :—

वर्ष	राशि
	(रुपए लाखों में)
1980–81 . .	48.56
1981–82 . .	54.69
1982–83 . .	43.23
1983–84 . .	69.88
1984–85 . .	146.91
1985–86 . .	222.00
1986–87 . .	1118.90 (बजट प्राक्कलन)

(ग) संबंधित प्रतियोगिता के स्तर को ध्यान में रखकर अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए न्यूनतम कार्य निष्पादन स्तर निर्धारित करने के लिए मापदंड रखे जाते हैं। 10वें एशियाई खेलों में खिलाड़ियों तथा टीमों द्वारा भाग लेने के लिए भी न्यूनतम कार्य निष्पादन स्तर निर्धारित किए गए थे । तथापि, 10वें एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों और टीमों का कुल कार्य निष्पादन आशाओं से कम था।

विदेश जाने वाले छात्रों के लिए अंग्रेजी भाषा में प्रवीणता

1468. **श्री शरद यादव** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय दूतावासों को आदेश जारी किए हैं कि भारत आकर भारतीय भाषाओं का अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए अंग्रेजी भाषा में प्रवीणता हासिल करने की शर्त लगा दी गई है ; यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ;

(ख) इसके क्या कारण हैं कि जिस राज्य में विदेशी छात्र शिक्षा प्राप्त करने आते हैं उन्हें उसी राज्य की भाषा और राष्ट्रीय भाषा का कार्यसाधक ज्ञान प्रदान करने के लिए सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है ;

(ग) क्या देश में विदेशी छात्रों को भारतीय भाषाओं के उच्च अध्ययन की सुविधा प्रदान करने के लिए कोई कार्यक्रम बनाया जा रहा है ; और

(घ) क्या भारत से जो छात्र विदेशों में अध्ययन करने जाते हैं, उन्हें ऐसे विशेष देश की राष्ट्रीय भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य है और यदि हां, तो किन-किन देशों में हमारे छात्रों पर यह शर्त लागू की जाती है और उन देशों की भाषाओं के नाम क्या-क्या हैं जो उन्हें सीखनी पड़ती हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (घ) सरकार द्वारा भारतीय दूतावासों/उच्चायोग को ऐसे कोई विशिष्ट आदेश जारी नहीं किए हैं, जिसमें भारतीय भाषाओं का अध्ययन करने वाले विदेशी छात्रों के लिए अंग्रेजी में दक्षता की शर्त निर्धारित की गई हो । अधिकांश विदेशी छात्र भारत में औषध, इंजीनियरी, कृषि, फार्मेसी आदि जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेते हैं, जिनका शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है। जो छात्र सामान्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेते हैं, वे भी सामान्यतः ऐसी संस्थाओं का चयन करते हैं जहां शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होता है। तथापि, सभी विदेशी छात्रों को विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालयों/संस्थाओं द्वारा निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करना होता है । इन कारणों को ध्यान में रखते हुए विदेशी छात्रों को क्षेत्रीय/राष्ट्रीय भाषा में प्रशिक्षण देने के लिए कोई विशिष्ट प्रबन्ध नहीं किए गए हैं।

सरकार ने विदेशी राष्ट्रिकों को केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा के दिल्ली केन्द्र में हिन्दी का शिक्षण देने के लिए सुविधाएं प्रदान की हैं। इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक वर्ष 50 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। यह संस्थानें प्रारंभिक और उच्च दोनों स्तरों पर पाठ्यक्रम प्रदान करता है। जहां तक अन्य भारतीय भाषाओं में उच्च पाठ्यक्रमों का संबंध है विदेशी छात्र विश्वविद्यालयों में या तो सरकार द्वारा प्रदान की गई छात्र-वृत्तियों के आधार पर अथवा स्वयं वित्त पोषण के आधार पर ऐसे पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले सकते हैं।

मंत्रालय को फ्रांस, जर्मन जनवादी गणराज्य और मंगोलिया के बारे में जानकारी है, जो इन देशों में शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक भारतीय छात्रों के लिए अपनी राष्ट्रीय भाषा (क्रमशः फ्रेंच, जर्मनी तथा मंगोली) के ज्ञान की अपेक्षा करते हैं।

विदेशी अभिकरणों द्वारा नेत्र-चिकित्सकों को अनुदान दिया जाना

1469. **श्री शरद यादव** : क्या **स्वास्थ्य परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेत्र चिकित्सकों को आयोजित-शिविरों में कार्य करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय या विदेशी संस्थाओं से कुछ अनुदान मिलता है;

(ख) यदि हां, तो उन्हें कितना अनुदान मिलता है;

(ग) खुर्जा (उत्तर प्रदेश) नेत्र शिविर से संबंधित राजस्थान के डाक्टर सहाय या उनके अस्पताल को अब तक विदेशों से कितना अनुदान मिला है; और

(घ) क्या सरकार ने इस बात की जांच कराई है कि डा० सहाय ने अधिक विदेशी अनुदान प्राप्त करने के उद्देश्य से अधिकाधिक आपरेशन किए हैं;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) रायल कामनवेल्थ सोसायटी फार ब्लाइंड-नेस जैसी अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियां नेत्र शिविर लगाने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को प्रति रोगी के हिसाब से वित्तीय सहायता देती । जहां तक रायल कामनवेल्थ सोसायटी फार ब्लाइडनेस का संबंध है, अनुदान की रकम वही है जो राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन देय है, अर्थात् 60 रुपए प्रति इंटाक्युलर आपरेशन है।